मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 033/2023

1. विजय सिह पुत्र अनोप सिह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. अनोप सिह पुत्र अन्नेसिह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रूकमणी कंवर पुत्री अनोप सिह पत्नी मोती सिह जाति राजपूत निवासी चिलकनी ढाब तहसील व जिला सिरसा हरि0।
3. सन्जू कंवर पुत्री अनोपसिह पत्नी भरत सिह जाति राजपूत निवासी रधावां तहसील व जिला सिरसा हरि0।
4. संगीता कंवर पुत्री अनोपसिह पत्नी आजाद सिह जाति राजपूत निवासी रधावां तहसील व जिला सिरसा हरि0।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय दिनांक :– 20.2.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह के नाम से दर्ज चक 7 एस.आर.डबल्यू के खाता संख्या 3/4 में कुल 1.290 हैक्टेयर आराजी का वादी विजय सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 7 एस.आर.डबल्यू के खाता संख्या 3/4 में से प्रतिवादी संख्या 1 अनोप सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुद्रा

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner